कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/ए–2–7/प्रदीप मेहरोत्रा/2017 दिनांक 12.09.17

श्री प्रदीप मेहरोत्रा
वरिष्ठ व्याख्याता **पंजीकृत** **स्मरण–1**
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
मसूदा अजमेर

विषयः– संस्थान में कार्य करने हेतु पाबंद करने के क्रम मे।
संदर्भः– अ0 शासकीय पत्र क्रमांक जिशिप्रसं/मसू/ संस्था/2017 / 2923 दिनांक 29.06.17 व समसंख्यक पत्रांक दिनांक 21.07.17.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप कार्यग्रहण दिनांक से लगभग 2 वर्ष की अवधि में मात्र 9 दिवस ही संस्थान में उपस्थित रहे व अन्य कार्यालयों से अनवरत उपस्थिति लाते है या भिजवाते रहते है। अन्य कार्यालयों मे जाने से पूर्व आप संस्थान से विधिवत पूर्वक कार्यमुक्त नही होते, और बिना सूचना के अन्य कार्यालयों उपस्थिति देते रहते है आपके पास संस्थान के जो दायित्व और चार्ज है उनका आप विधिवत पूर्वक कार्य नही करते, अपनी स्वेच्छा से जहाँ जाना होता है वहा चले जाते है आपकी संस्थान के कार्यों में तनिक भी रूचि नही है और विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने हेतु तत्पर रहते है तथा संस्थान के अपने प्रभाग सम्बन्धित कार्यो को पूर्ण नही करते हैं। इस सम्बंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मसूदा अजमेर में कार्यग्रहण दिनांक से अब तक किस–किस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी, जिसका पूर्ण विवरण आदेश पत्र, कार्यमुक्ति आदेश, उपस्थिति पत्र आदि की छाया प्रतियां सहित, प्रत्युतर संस्थाप्रधान के माध्यम से पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिसका प्रत्युत्तर संस्था प्रधान के माध्यम से अपेक्षित था जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही कोई अन्तरिम प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ, जो की अत्यन्त ही खेद का विषय हैं।

इस सम्बन्ध में आपको पुनः निदेर्शित किया जाता है कि उपरोक्त पेरा में वर्णित वांछित सूचना अब तक प्रेषित न करने के सबंध में अपना स्पष्टीकरण तथा वछिंत सुचनाऐं संलग्न प्रपत्र में संस्था प्रधान के माध्यम से ही पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित करें। अन्यथा स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाऐगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(नूतनबाला कपिला)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक प्रांरम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. उपनिदेशक, प्रांरम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रांरम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
4. प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मसूदा अजमेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समसंख्यक पत्रांक दिनांक 21.07.2017 व इस पत्र की प्रति श्री मेहरोत्रा को दिलवाकर सूचना देने हेतु पाबन्द करे, पावती रसीद व संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाऐं, आप द्वारा समय–समय पर श्री मेहरोत्रा के विरूद्व की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण/वांछित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां सहित दिनांक वार विवरण/सूचना तत्काल निदेशालय को प्रेषित करें।
5. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को आदेश अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रपत्र

क्र. स.	माह	कब से कब तक अन्यत्र डयुटी पर रहे	प्रतियुक्ति / डयूटी पर कहाँ गयें	आदेश संख्या विवरण के साथ संलग्न किया जाना है	संस्थान से कार्यमुक्त हुये या नही ? यदि हां तो आदेश क्रमांक व दिनांक	संस्थान में वापस कब आये	यात्रा विपत्र की कुल राशि	यात्रा विपत्र का भुगतान हो चुका या नही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

: : कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर : :

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / संस्था / ए–2–7 / प्रदीप मेहरोत्रा / 2017 दिनांक 21.07.17

श्री प्रदीप मेहरोत्रा
वरिष्ठ व्याख्याता **पंजीकृत**
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
मसूदा अजमेर

विषयः– संस्थान में कार्य करने हेतु पाबंद करने के क्रम मे।

संदर्भः– अ0 शासकीय पत्र क्रमांक जिशिप्रसं / मसू / संस्था / 2017 / 2923 दिनांक 29.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आप कार्यग्रहण दिनांक से लगभग 2 वर्ष की अवधि में मात्र 9 दिवस ही संस्थान में उपस्थित रहे व अन्य कार्यालयों से अनवरत उपस्थिति लाते है या भिजवाते रहते है। अन्य कार्यालयों मे जाने से पूर्व आप संस्थान से विधिवत पूर्वक कार्यमुक्त नही होते, और बिना सूचना के अन्य कार्यालयों उपस्थिति देते रहते है आपके पास संस्थान के जो दायित्व और चार्ज है उनका आप विधिवत पूर्वक कार्य नही करते, अपनी स्वेच्छा से जहाँ जाना होता है वहा चले जाते है आपकी संस्थान के कार्यो में तनिक भी रूचि नही है और विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने हेतु तत्पर रहते हैं तथा संस्थान के अपने प्रभाग सम्बन्धित कार्यो को पूर्ण नही करते हैं।,आपका यह कृत्य अपने उच्च अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

आपने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मसूदा अजमेर में कार्यग्रहण दिनांक से अब तक किस–किस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी, जिसका पूर्ण विवरण आदेश पत्र, कार्यमुक्ति आदेश, उपस्थिति पत्र आदि की छाया प्रतियां सहित, प्रत्युतर संस्थाप्रधान के माध्यम से पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित करें।

इस सम्बन्ध आपको निदेर्शित किया जाता है कि भविष्य में अत्यन्त ही संस्थान व छात्र हित में अति आवश्यक हो तो ही कायालर्यध्यक्ष की लिखित अनुमति व कार्यमुक्ति आदेश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त होवें तथा संस्थान में दिये गये दायित्व का पूर्ण जिम्मेदारी से पालना करें अन्यथा स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएेगी।

(नूतनबाला कपिला)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक प्रांरम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. उपनिदेशक, प्रांरम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रांरम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
4. प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मसूदा अजमेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अत्यन्त ही संस्थान व छात्र हित में अति आवश्यक हो तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज बीकानेर से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही श्री मेहरोत्रा कार्यमुक्त करै। इनको बिना अनुमति अन्य किसी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त न करे तथा माह सितम्बर 2015 से जुलाई 2017 तक के उपस्थिति रजिस्ट्रर की छाया प्रति, प्रस्तुत यात्रा विपत्र व आप द्वारा समय–समय पर श्री मेहरोत्रा के विरूद्ध की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण निदेशालय को प्रेषित करें।
5. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को आदेश अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर